(12)

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.)

R5132-II/17

शारदा प्रसाद तनय स्व. सियाशरण सोनी उम्र 44 वर्ष पेशा वकालत निवासी गुरूनानक स्कूल के सामने मैहर जिला सतना (म.प्र.) .....निगराकार

बनाम

पार्वती अग्रवाल पत्नी रामदास अग्रवाल निवासी रंगलाल चौराहा पुरानी बस्ती मैहर जिला सतना (म.प्र.) — गैरनिगराकार

अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी द्वारा प्रस्तुत। 27.3.17

निगरानी राजस्व निरीक्षक मैहर द्वारा पारित सीमांकन की पुष्टि बावत आदेश दिनांक 24.7.15 प्र.क्र. 57अ12/13-14 के विरूद्ध।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी से संबंधित तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

(1) यह कि गैर निगराकार के द्वारा जनवरी 2014 में मौजा मैहर की आराजी खसरा नंबर 180/3ख, 180/3ग, 180/3घ, शा.नं. 181, 182 के सीमांकन बावत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(2) यह कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा हल्का पटवारी को उक्त आराजी के सीमांकन बावत निर्देश जारी किया गया जिसके पालन में हल्का पटवारी के द्वारा मात्र योगेन्द्र सिंह और महेश दरियानी को दिनांक 2.7.14 को सीमांकन की सूचना दिया जाकर 12.7.14 को उक्त आराजी का गुप-चुप तरीके से सीमांकन हल्का पटवारी द्वारा किया जाकर पंचनामा तैयार कर दिया गया जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.7.15 को लगभग एक वर्ष बाद कर दी गयी जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5132–दो/17 . जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मैहर जिला सतना का प्रकरण कमांक 57/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 24.07.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा जनवरी 2014 में मौजा मैहर जिला सतना की आराजी खसरा नंबर 180/3ख, 180/3ग, 180/3घ, शा0 न0 181, 182 के सीमांकन बावत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी को उक्त आराजी के सीमांकन बावत निर्देश जारी किया गया जिसके पालन में हल्का पटवारी के द्वारा मात्र योगेन्द्र सिंह और महेश दरियानी को दिनांक 2.7.14 को सीमांकन की सूचना दी गई तथा दिनांक 12.7.14 को उपरोक्त आराजी का सीमांकन बिना सूचना दिये करा लिया था पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन तथा	

पंचनामा तैयार किया गया जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा लगभग एक वर्ष बाद की गई जिससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन विधि प्रकिया के विरूद्व है तथा ऐसा सीमांकन निरस्त योग्य है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि आराजी नंबर 180 रकवा 4.400 है0 शा0 न0 181, 182 के पूर्व भूमि स्वामी रमैया वल्द बितानी कोल के नाम पर वर्ष 1958–59 में दर्ज कागजात थी जो बाद में वर्ष 2014 में योग्रन्द्र सिंह, महे दरियानी, राजेन्द्र नामदेव, मनोहरलाल, जुगुल किशोर पाठक, दिनेश तिवारी, राजाराम त्रिपाठी, आशा सोनकिया, सुरेन्द्र कुमार पाठक, ज्ञानवती अवधिया, डा0 अशोक अवधिया, लीला देवी अवधिया, सुधादेवी, रामसुख पाण्डेय, मुन्नी पाण्डेय, भानू, प्रताप पाण्डेय, प्रेमबिहारी पाण्डेय, उषा शुक्ला, मुन्नी तिवारी, विनोद कुमार सिंह, निशा त्रिपाठी, इन्दू कोल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कागजात थी जिन्हें वक्त सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है। इसलिये किया गया सीमांकन निर्थक है तथा पुष्टि विहीन है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जावे तथा संहिता की धारा 129 के पावधानों का पालन करते

हुये सीमांकन की कार्यवाही की जावे तथा दिनांक 24.7.15 किया गया सीमांकन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4— मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आदेश पत्रिका जनवरी 14 में अनावेदिका पार्वती अग्रवाल पत्नी रामदास अग्रवाल द्वारा आराजी खसरा नंबर 180/3ख, 180/3ग, 180/3घ, शा0 न0 181, 182 के सीमांकन बावत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा हल्का पटवारी को उक्त आराजी के सीमांकन का प्रतिवेदन हेतु निर्देश दिये। पटवारी द्वारा 7 माह पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पत्रिका पर लेख किया गया है कि "**पटवारी हल्का मैहर द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्शा ट्रेस सहित दिया गया। कोई आपत्ति पेश नहीं । पटवारी सीमांकन की पुष्टि की जाती है। प्रकरण** ~~द्वा0~~ **द हो**"। राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो आदेश पत्रिका में सूचना पत्र एवं न ही पंचनामा का उल्लेख किया है और न ही सरहदी कास्तकारों को सूचना दी गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुष्टि हेतु खसरा की प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिसमें समस्त व्यक्तियों के नाम अपनी बहस में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त

विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षकर संहिता की धाराओं का पालन किये बगैर सीमांकन किया गया है।

"यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक के निर्देश के पालन में जनवरी 14 को राजस्व निरीक्षक के आदेशानुसार पटवारी द्वारा सीमांकन किया जिसपर फील्डबुक तैयार की । फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।" इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व निरीक्षक मैहर जिला सतना का प्रकरण कमांक 57/अ–12/2013–14 में पारित

सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक मैहर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन करने हेतु दल गठित कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य